ई-आफिस सं0- 1473195/2021
संख्या-1/2023/529-57-2023-4-G-2021-TC

प्रेषक,

अशोक कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी/
आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

धर्मार्थ कार्य विभाग लखनऊ : दिनांक मार्च 2023

विषय:- जनपद प्रयागराज में भजन संध्या स्थल की स्थापना/निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, प्रयागराज के पत्र सं0- 759/इला0/कौशाम्बी इकाई/रानिनि/भजन संध्या/22, दिनांक 18.11.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा जनपद प्रयागराज में भजन संध्या स्थल की स्थापना/निर्माण संबंध में कार्यदायी संस्था उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 के महाप्रबन्धक (तकनीकी) द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य का आगणन लागत रू0 1830.40 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उपयुक्त के संबंध में अवगत कराना है कि जनपद प्रयागराज में भजन संध्या स्थल की स्थापना/निर्माण कराये जाने से संबंधित आगणन को प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित करते हुए प्रायोजना की लागत रू0 1807.59 लाख निर्धारित करते हुए प्रयोजना में उल्लिखित उच्च विशिष्टियों की श्रेणी के कार्यो पर समक्ष स्तर द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

3- उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद प्रयागराज में भजन संध्या स्थल की स्थापना/निर्माण कराये जाने हेतु प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित धनराशि रू0 1807.59 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किस्त के रूप में रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनाक 7 जून, 2022 में निहित व्यवस्थानुसार कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार दो-दो माह की धनराशि निर्गत की जायेगी।
(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।
(3) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) कार्यदायी संस्था द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानिटरिंग भी की जायेगी।
(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(7) कार्यदायी संस्था द्वारा लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(8) कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 के अन्तर्गत सक्षम स्तर का अनुमोदन भी प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।
(9) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
(10) कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनाक 7 जून, 2022 यथासंशोधन का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(11) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।
(12) कार्यदायी संस्था द्वारा अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
(13) कार्यदायी संस्था द्वारा सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(14) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
(15) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
(16) प्रायोजना में डिस्मेंटलिंग ऑफ बिल्डिंग का कार्य कराया जाना है। अत: कार्यदायी संस्था को भवनों से निकलने वाले मलबे से प्राप्त धनराशि सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
(17) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 वाराणसी/आयुक्त, वारणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पद धारक द्वारा शासनादेश के अनुसार कोषागार वाराणसी से किया जायेगा तथा आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 084 **लेखा शीर्षक** 4250008000900 जनपद प्रयागराज में भजन संध्या स्थल का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न **अशासकीय संख्या-E-5-320-X-2022-23 दिनांक 29-3-2023** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

http://shas

भवदीय,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 529-57-2023-1-G-2021-TC-3, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल/प्रयागराज मण्डल।
4- जिलाधिकारी, अयोध्या/वाराणसी/प्रयागराज।
5- नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज।
6- उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
7- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/प्रयागराज।
8- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 ,लखनऊ।
10-उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 , कौशाम्बी इकाई, प्रयागराज।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।